

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 129 /

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 08 / 05 / 2025

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय) की न्यायालय में लंबित एमजेसीआर प्रकरण क्रमांक-703/2024 शासन म0प्र0 वि0 त्रिवेणी प्रसाद को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु 19वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

2. कार्यविभाजन आदेश क्रमांक-336 दिनांक-30.04.2024 के द्वारा सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग-10 से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर की न्यायालय को होने के फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर की न्यायालय में लंबित एमजेसी सक्सेशन प्रकरण क्रमांक-08/2022 उर्मिला देवी बनाम आम जनता वगै0 को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर श्रीमती कामिनी प्रजापति की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 2363 /
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 08 / 05 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर
2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0प्रस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)